



कार्यालय-जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

पत्रांक:- 1929 /

सेवा में,

जिला शिक्षा अधीक्षक,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

सेवा में,

विद्यालय प्रबंधक / प्राचार्य,
Swami Vivekananda Gurukulam,
Betjharra, Dhalbhumgarh, East Singhbhum

जमशेदपुर, दिनांक:- 19.08.2025

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महाशय,

आपके द्वारा दिनांक 01.03.2024 को समर्पित ऑनलाइन आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ हुए पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन तथा प्रदत्त शपथ पत्र के आधार पर, Swami Vivekananda Gurukulam, Dhalbhumgarh, East Singhbhum को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कक्षा I से VIII तक के लिए मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधिन होगी:-

1. इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबंधों को पूर्णरूपेण पालन करेगा।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर एवं अभिव्यक्ति वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. उक्त कंडिका-03 में उल्लेखित बच्चों के लिए, विद्यालय अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबंधों के तहत प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।
5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बच्चे या उसके माता-पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।

Page 1 of 3

PRINCIPAL

SWAMI VIVEKANAND GURUKULAM
(A UNIT OF SAI SIKSHA SANSTHAN)
DHALBHUMGARH-832302

MANAGER

SWAMI VIVEKANANDA GURUKULAM
(A UNIT OF SAI SIKSHA SANSTHAN)
DHALBHUMGARH - 832302

Secretary

SAI SIKSHA SANSTHAN
SAKCHI, JAMSHEDPUR-83100-
Scanned with OKEN Scanner



6. विद्यालय किसी बच्चे का उरा की आयु का सबूत नहीं होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसे स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन किया जायेगा।

7. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

- I- प्रवेश दिये गए किसी भी बच्चे को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्काशित नहीं किया जायेगा,
- II- किसी भी बच्चे को शारिरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दिया जायेगा,
- III- प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई भी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी,
- IV- प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा,
- V- अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा,
- VI- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ताए के अनुरूप किया जायेगा, समय-समय पर निर्धारित मानक प्रभावी होंगे,
- VII- अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे,
- VIII- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा।

10. विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई सुविधाएं निम्नानुसार हैं-

- I- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल:- 5.58 एकड़
- II- कुल निर्मित क्षेत्र:- 2374 वर्ग मीटर
- III- कीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल:- 2500 वर्ग मीटर
- IV- कक्षाओं की संख्या:- 08 (आठ) (वर्ग-01 से 08 तक)
- V- प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भण्डारगार के लिए कक्षा:- 02
- VI- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय:- हैं।
- VII- पेयजल की सुविधा:- हैं।
- VIII- वाधारहित पहुँच:- हैं।
- IX- अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेल कुद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता:- हैं।

11. विद्यालय परिसर के भीतर या उस के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेगी।

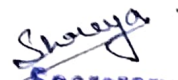
Page 2 of 3


PRINCIPAL

SWAMI VIVEKANAND GURUKULAM
(A UNIT OF SAI SIKSHA SANSTHAN)
DHALBHUMGARH-832302


MANAGER

SWAMI VIVEKANANDA GURUKULAM
(A UNIT OF SAI SIKSHA SANSTHAN)
DHALBHUMGARH - 832302


Secretary

SAI SIKSHA SANSTHAN
SAKCHI, JAMSHEDPUR-83100-
Scanned with OKEN Scanner



12. विद्यालय भवनो या अन्य सरचनाओं का कीड़ा-रखल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
13. स्कूल को किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।
14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्जर अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।
15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर विभाग एवं अधोहरताक्षरी द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों की दूर करने के लिए जारी किए जाये।
16. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।
17. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-629 दिनांक-25.04.2019 में वर्णित प्रावधानों एवं शर्तों को लागू करना होगा।
18. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में एवं मान्यता के लिए विद्यालय द्वारा समर्पित कागजातों एवं अभिलेखों का जाली या वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय या विद्यालय द्वारा राष्ट्र या राज्य हित के विरुद्ध कार्य किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटुता फैलता हो तो विभाग निर्गत प्रमाण पत्र को वापस ले सकती है।
19. समय-समय पर विभाग द्वारा अधिसूचित नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शर्तों का उल्लंघन मानते हुए मान्यता प्रमाण पत्र वापस लेने के साथ-साथ नियमानुकूल कार्रवाई की जा सकेगी।

आपके विद्यालय को आवंटित आरटीई मान्यता कोड संख्याक-36 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख किया जाये।

em
19/8/25
जिला शिक्षा अधीक्षक,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
19/8/25

Danny
MANAGER

SWAMI VIVEKANANDA GURUKULAM
(A UNIT OF SAI SIKSHA SANSTHAN)
DHALBHUMGARH - 832302

Signature
PRINCIPAL
SWAMI VIVEKANAND GURUKULAM
(A UNIT OF SAI SIKSHA SANSTHAN)
DHALBHUMGARH-832302

Signature
Secretary
SAI SIKSHA SANSTHAN
SAKCHI, JAMSHEDPUR-83100